राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 57/2023

सुधीरपाल सिंह देवडा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं विशिष्ठ शासल सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर।
3. उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिरोही।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 19.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिमन्यु सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबंध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय खंड सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पिडवाडा जिला सिरोही में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा में किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 19.06.2020 को हुई थी। जिसका परिविक्षाकाल जुलाई 2022 को पूर्ण हुआ है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 260 किमी दूर किया है। जबकि सिरोही जिले में ही चार पद रिक्त आज भी है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को जहां पर स्थानांतरित किया गया है वहां पर पहले से ही कार्मिक पदस्थापित है। इस प्रकार अपीलार्थी को जहां पर स्थानांतरण किया गया है वहां पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध है जो ईस्पाइनल की बीमारी से पिडित है जिनका उपचार माउण्ट आबू चिकित्सालय में किया

जा रहा है। अपीलार्थी के अलावा उनकी देखभाल के लिए परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को नजरअंदाज करतु हुए प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का स्थानांतरण 260 किमी दूर कर दिया। जबकि सिरोही जिले में कई पद रिक्त है। इस प्रकार आलोच्य आदेश अनुचित व अवैध है तथा दुर्भावनापूर्ण तरीके से जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथास्थान अथव सिरोही जिले में किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जिस स्थान पर अपीलार्थी का स्थानांतरण यिका गया है। यदि वहां पर पद रिक्त नहीं है तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पद पर ही अपीलार्थी को पदस्थापित किया जावे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र ग्राह्यता के प्रकम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य